

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय:
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर


—0—

::आदेश::

१५/१२
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक / / 2021

क्रमांक एफ १७-९५/२०२१/३८-२: राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/निजी महाविद्यालयों में संपूर्ण कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.आर. खान)
अवर सचिव

पृ.क्र. एफ १७-९५ /२०२१/३८-२

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक ५/१२/२०२१

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर.
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
4. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ *
7. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर, छ.ग.
8. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. आदेश फोल्डर


अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग
